रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2257] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2013/आश्विन 5, 1935
No. 2257] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2013/ASVINA 5, 1935

IndiaCode

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2013

का.आ.सं. 2935(अ).—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (संशोधित) अधिनियम, 1995 (1995 का 44) के तहत यथासंशोधित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा, 3(2), 4(1), और 4(4), के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार प्रो. फरीदा अब्दुल्ला खान को एतद्द्वारा उक्त आयोग का उनके द्वारा कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए बतौर सदस्य नियुक्त करती है ।

[सं. 1-2/2012-एनसीएम (पार्ट)]

राकेश मोहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2013

S.O. No. 2935(E).—In exercise of the powers conferred by Sub- section (1) of Section 3 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992) as amended vide the National Commission for Minorities (Amendment) Act, 1995 (44 of 1995) the Central Government hereby appoints Prof. Farida Abdullah Khan, as Member of the said Commission under Sub-section (2) of that Section for a period of three years with effect from the date of assumption of office by her.

[No. 1-2/2012-NCM(Pt.)]

RAKESH MOHAN, Jt. Secy.

4159 GI/2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.